कार्यालय प्राचार्य, श्री राजेन्द्र सूरि कुन्दन जैन राजकीय महिला महाविद्यालय, जालोर

विद्या सम्बल योजनाः— दिशा निर्देश

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.6(2)वित/सा.विले.नि./2021 दिनांक 30.032021 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।
2. वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यता धारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। न्यूनतम आयू सीमा 21 वर्ष होगी। सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमंत्रित शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षकों को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
4. गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेंगे।
5. योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी लगाने की व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा सत्र 2022—23 के लिए है तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।
6. दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधों/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी :—
   (a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो
   (b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।
   (c) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
   (d) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।
   (e) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो। उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्यों/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
7. चयनित गेस्ट फैकल्टी को निर्धारित शपथ पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। गेस्ट फैकल्टी को संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने के संबंध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.1/विद्या संबल/आकाशि/गे.फे./दिशा निर्देश/21/81 दिनांक 14.07.2022 तथा पत्रांक एफ.1( )स्था/आकाशि/गे.फे./2021/1255 दिनांक 11.06.2021 एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम/आदेश लागू रहेंगे।
9. संबंधित अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।

Scanned with CamScanner